खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0029/2017

जगदीश राज पुत्रश्री जमनादास मैसर्स जगदीश फ्लोर मिल, नजदीक पुरानी सब्जी मण्डी, गली नं.08, नई आबादी, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) 335513

––अपीलार्थी

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य
2. हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ

––प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 04.07.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 01.04.2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 06/2013 हरीराम बनाम जगदीश राज में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) के तहत 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि दिनांक 17.08.2012 को अपीलार्थी के यहां से मिर्च का सैम्पल लिया गया जो बाद जांच सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिसपर अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय प्रयोगशाला में सैम्पल जांच हेतु भिजवाया। केन्द्रीय प्रयोगशाला में भी अपीलार्थी के द्वारा विक्रित की गई मिर्च के सैम्पल को सबस्टेण्डर्ड का माना।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी पर अधिरोपित शास्ति अत्यधिक है, उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के प्रकरण का फैसला स्वीकृति के आधार पर किया गया है जिसमें अपीलार्थी ने यह कहा है कि उसके द्वारा डण्ठल जानबूझकर नहीं मिलाए गए और छोटा व्यापारी है। अपीलार्थी को धारा 31 की उपधारा 02 के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान 2011 से लागू हुए है, अपीलार्थी को प्रथम उल्लंघन पर 1,00,000रूपये(अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 06/2013 हरीराम बनाम जगदीशराज में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का दोषी मानकर उसपर 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 50,000रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर